रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122023-250356
CG-DL-E-01122023-250356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] नई दिल्ली, , बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945
No. 786] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945

भारतीय जीवन बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2023

फा.स. एस-14014/14/2022-बीमा1 (अ). — बोर्ड जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन विनियमों का संषिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (शेयरधारक निदेशक) विनियम, 2023 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "निगम निकाय" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 4 ख के स्पष्टीकरण में दिया गया है; और

(ग) " शेयरधारकों" से केन्द्रीय सरकार से भिन्न अन्य सदस्य अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. **शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन और नियुक्ति —** (1) शेयरधारकों का शेयरधारक निदेशक के पद के लिए किसी उम्मीदवार को प्रस्तावित करने के लिए आशय होने पर उस व्यक्ति द्वारा धारित शेयर और अमानतदार विवरण, जिसका नाम शेयरधारक निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और जो शेयरधारक ऐसे व्यक्ति को शेयरधारक निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, का नाम, पता, साधारण विनिर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर से शेयरधारकों की साधारण सभा से कम से कम चौदह दिन पहले निगम के समक्ष अपने आशय का नोटिस जमा करना होगा।

(2) उप-विनियम (1) और (4) में विनिर्दिष्ट नोटिस के साथ उस व्यक्ति, जिसका नाम शेयरधारक निदेशक के पद के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, द्वारा हस्ताक्षरित विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:-

(क) उसकी निदेशक पहचान संख्या;

(ख) कि वह अधिनियम के तहत निदेशक बनने के लिए निरर्हित नहीं है;

(ग) निगम के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उसकी सहमति; और

(घ) शेयरधारकों के निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति को अतिरिक्त जानकारी जो अपेक्षित की जाए प्रदान करने के लिए सहमति।

(3) उप विनियम (1), (2) और (4) में निर्दिष्ट नोटिस और विवरण को साधारण सभा की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

(4) निगम, कम से कम एक हजार शेयरधारकों या शेयरधारकों की कुल संख्या के दसवें भाग, जो भी कम हो, से नोटिस प्राप्त होने पर ऐसे शेयरधारकों की एक आम बैठक के माध्यम से एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन करेगा।

(5) साधारण सभाओं से संबंधित जीवन बीमा निगम साधारण नियम, 1956 का नियम 28, शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए शेयरधारकों की साधारण सभा पर *यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा।*

(6) किसी व्यक्ति को उप-विनियम (8) के अधीन बोर्ड द्वारा निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने से पहले, नामांकन और पारिश्रमिक समिति इससे संतुष्ट हो कि निदेशक के रूप में ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होगा, जिससे निगम के निदेशक के कार्यों का उसके द्वारा निपटान या कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(7) निगम के शेयरधारकों के निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो से अधिक निगमित निकाय में समान पद धारण नहीं करेगा:

परंतु कि दूसरा निगमित निकाय, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, ऐसा कारबार नहीं कर रहा हो जो इस निगम के कारबार से प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता में हो।

(8) उप-विनियम (4) के अधीन शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति बोर्ड द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह विनियम 4 में संदर्भित किए गए अनुसार अगले चार वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(9) उप-विनियम (8) के अंतर्गत नियुक्त शेयरधारक निदेशक को इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करने और इस अधिनियम की धारा 19(ख) के अधीन नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा बनाए गए किसी भी मानदंड को पूरा करने के अध्यधीन एक स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।

(10) यदि वैध उम्मीदवारी की संख्या बोर्ड में शेयरधारकों के निदेशक की रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो अधिक संख्या में वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा।

(11) उप-विनियम (8) के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त एक शेयरधारक निदेशक को इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार पद धारण करेगें।

4. पदावधि और रिक्ति — (1) विनियम 3 के उप-विनियम (8) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त शेयरधारक निदेशक चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगें और अगले चार वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) किसी शेयरधारक निदेशक की अगले चार वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति शेयरधारकों द्वारा उसके पुनर्निर्वाचन, विनियम 3 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड द्वारा पुनर्नियुक्ति के अध्यधीन होगी।

(3) शेयरधारकों के निदेशक के रूप में इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उस तारीख और उसके पश्चात से शेयरधारक निदेशक नहीं रह जाता है जिस तारीख से वह शेयरधारक नहीं रह जाता है।

(4) शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 4क में उल्लिखित किसी निरर्हरता के होने पर पद को रिक्त करना होगा।

5. उपयुक्त तथा उचित मानदंड — नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के समय और शेयरधारक निदेशक (वार्षिक) के रूप में सेवाओं को जारी रखने के लिए अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में सम्यक तत्परता का पालन करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इनमें अन्य शर्तों को शामिल किया जा सकता है:-

(i) उनमें उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा, सदाचार और मूल्य होंगे;

(ii) उन्हें सम्यक सतर्कता और तत्परता के साथ शेयरधारक निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान और समझ होगी;

(iii) वे निगम के साथ हितों के टकराव की किसी स्थिति में सम्मिलित नहीं होंगे और जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में तुरंत आवश्यक प्रकटीकरण करेंगे;

(iv) वे प्रयोज्य विधियों के अधीन, जैसा भी मामला हो, शेयरधारक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रयोज्य शर्तों को पूरा करेंगे;

(v) उन्हें दोषी न ठहराया गया हो और न ही उन्हें नैतिक अधमता या किसी कृतिक निकाय से जुड़े विधियों और विनियमों का प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ हो; और

(vi) वे इस अधिनियम की धारा 4(क) में उल्लेख किए गए अनुसार निर्रहरक हो।

आर. दुरैस्वामि, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./565/2023-24]

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2023

F. No. S-14014/14/2022-Ins.I (E). —In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 4 read with clause (n) of sub-section (2) of section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Board with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (shareholders' director) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) "body corporate" shall have the same meaning as assigned to it in *Explanation* to section 4B of the Act; and

(c) "shareholders" means the members other than the Central Government.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Election and appointment of a shareholders' director. —** (1) The shareholders intending to propose a member as a candidate for the post of shareholders' director shall submit a notice of their intention with the Corporation at least fourteen days before the general meeting of shareholders under their signatures specifying the name, address, equity shares held and depository details of the person whose name is being proposed for the post of shareholders' director and of the shareholders who are proposing such person for the office of shareholders' director.

(2) The notice referred to in sub-regulations (1) and (4) shall be accompanied by a statement signed by the person whose name is being proposed for the post of shareholders' director stating—

(a) his Director Identification Number;

(b) that he is not disqualified to become a director under the Act;

(c) his consent to act as a director of the Corporation; and

(d) consent to provide further information to the Nomination and Remuneration Committee as may be required for his appointment as a shareholders' director.

(3) The notice and statement referred to in sub-regulations (1),(2) and (4) shall be included in the agenda of a general meeting.

(4) The Corporation, shall upon notice of not less than one thousand shareholders or one-tenth of total number of shareholders, whichever is lower, elect a shareholders director through a general meeting of such shareholders.

(5) Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 relating to general meetings shall *mutatis mutandis* apply to general meeting of shareholders for electing a shareholders' director.

(6) Before an individual is appointed as director by the Board under sub-regulation (8), the Nomination and Remuneration Committee, shall satisfy itself that such an individual as a director shall have no financial or other interest as is likely to affect prejudicially the exercise or performance by him of the functions of a director of the Corporation.

(7) No person appointed as a shareholders' director of the Corporation shall hold a similar position in more than two body corporates at the same time:

Provided that the second body corporate in which he has been appointed shall not be in a business that is competing or is in conflict with the business of the Corporation.

(8) The person elected as a shareholder's director under sub-regulation (4) shall be appointed by the Board for a term of four years and shall be eligible for re-election and re-appointment for another term of four years as referred to in regulation 4.

(9) A shareholder's director appointed under sub-regulation (8) shall be considered as an independent director subject to meeting the criteria of independence under sub-section (3) of section 4 of the Act and fulfilling any criteria formulated by the Nomination and Remuneration Committee under section 19B of the Act.

(10) If number of valid candidatures is more than the number of vacancy(ies) of shareholders' director on the Board, the candidate(s) polling higher number of votes shall be deemed to have been elected.

(11) A shareholder's director appointed by the Board under sub-regulation (8) shall hold office as provided under sub-section (4) of section 4 of the Act.

4. Term of office and vacation. — (1) The shareholders' director appointed by the Board under sub-regulation (8) of regulation 3 shall hold office for a term of four years and shall be eligible for re-election or re-appointment for another four years.

(2) Any re-appointment of a shareholders' director for another term of four years, shall be subject to re-election by the Shareholders, re-appointment by the Board in accordance with the provisions of regulation 3.

(3) A person so elected, as director of shareholders ceases to be a shareholders' director on and from such date on which he ceased to be a shareholder.

(4) A person appointed as a shareholders' director shall vacate his office if he incurs any disqualifications mentioned in section 4A of the Act.

5. Fit and Proper Criteria. —The Nomination and Remuneration Committee shall carry out adequate due diligence of a person at the time of appointment or reappointment as a shareholders' director and for continuation as a Shareholders' director (annually), on the basis of qualifications, expertise, track record, integrity, including but not limited to the following:

(i) he shall have high standards of integrity, ethics and values;

(ii) he shall have sufficient knowledge and understanding to discharge the duties of a Shareholders' director with due care and diligence;

(iii) he shall not be involved in any situation of conflict of interest with the Corporation and shall promptly make necessary disclosures in this regard, wherever required;

(iv) he shall meet the applicable conditions prescribed for appointment as a shareholders' director, as the case may be, under the applicable laws;

(v) he should not have been convicted or come under adverse notice of the laws and regulations involving moral turpitude or of any professional body; and

(vi) he shall not attract disqualifications mentioned in section 4A of the Act.

R. DORAISWAMY, Managing Director

[ADVT.-III/4/Exty./565/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.01 21:39:29 +05'30'